मॉड्यूल 4: किशोर न्याय बोर्ड

सत्र 2: कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित प्रक्रिया

अवधि: 6:19 मिनट

आईए अब समझें कि कानून का उल्लंघन करने वाले 16 से 18 वर्ष उम्र के बच्चे के सन्दर्भ में, जिसने जघन्य अपराध किया है, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी। यह धारा 14, 15, 19 और नियम 10 ए द्वारा निर्धारित है।

16 से 18 वर्ष क कानून का उल्लंघन करने वाले जघन्य अपराध के आरोपी बच्चे के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड की कार्यवाही का फ्लो–चार्ट (धारा 14,15,19 एवं नियम 10)

- किशोर न्याय बोर्ड (JJB)
- बच्चे की मानसिक और शारीरिक स्थिति को जानने के लिए बोर्ड धारा 15 के तहत आरंभिक आंकलन करता है ताकि यह जाना जा सके कि ऐसा अपराध करने की बच्चे की मानसिक और शारीरिक स्थिति तथा अपराध के दुष्परिणामों को समझने की क्षमता कितनी है और वह परिस्थितियाँ क्या हैं जिसमें उसने अपराध किया। यदि बोर्ड की राय में ऐसे बच्चे पर वयस्क की तरह मामला चलाया जाना चाहिए तो मामला बाल अदालत में स्थानांतरित किया जाएगा। धारा 18 (3)
- आरंभिक आंकलन से जब बोर्ड संतुष्ट हो जाता है कि इस मामले की सुनवाई और अंतिम फैसला बोर्ड को करना चाहिए तब वह कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के पुनर्वास के लिए आदेश पारित करता है। किशोर न्याय बोर्ड को सम्मन मामले की तरह कार्यवाही की प्रक्रिया का पालन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुरूप में करना चाहिए –धारा 15 (2) और धारा 18 (1) और (2)

पाँचवा चरण कानून का उल्लंघन करने वाले 16 से 18 वर्ष के उम्र के बच्चे, जिन्होंने जघन्य अपराध किया है, उनके संबंध में बाल न्यायालय की प्रक्रिया से संबंधित है।

जब 16 से 18 वर्ष का कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा जघन्य अपराध करता है तो इसके संबंध में बाल न्यायालय की कार्यवाही का फ्लो–चार्ट

- किशोर न्याय बोर्ड के आरंभिक जांच की प्राप्ति के बाद –(धारा 15) बाल अदालत (Children's Court) निर्णय ले सकता है –(धारा 19)
- दण्ड प्रक्रिया संहिताए 1973 के प्रावधानों के तहत बच्चे पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए और धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार सुनवाई के बाद बच्चे की विशेष आवश्यकताओं को तथा निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धान्त एवं बाल मित्रवत् वातावरण में उपयुक्त आदेश पारित किया जाए। धारा 19 (1)

- बच्चे के मामले की सुनवाई वयस्कों की तरह की जाने की आवश्यकता नहीं है और किशोर न्याय बोर्ड की तरह जांच करके (धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार) उपयुक्त आदेश पारित कर दें। धारा 19 (1)
- बाल अदालत (Children's Court) यह सुनिश्चित करे कि बच्चे के संबंध में अंतिम आदेश में, बच्चे के पुनर्वास के लिए उसकी व्यक्तिगत देखभाल योजना तथा परिवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या सामाजिक कार्यकर्ता की फॉलो–अप योजना शामिल हो। धारा 19 (2)
- बाल अदालत यह सुनिश्चित करेगी कि जिस बच्चे को कानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया है उसे 'सुरक्षित स्थान' (Place of Safety) में भेज दिया जाए तब तक के लिए, जब तक कि वह 21 वर्ष का न हो जाए। उसके बाद उसे कारावास (Jail) में स्थानान्तरित किया जा सकता है। धारा 19 (3)
- बाल अदालत इस बात को सुनिश्चित करे कि परिवीक्षा अधिकारी, या जिला बाल संरक्षण इकाई या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रत्येक वर्ष बच्चे की फॉलो–अप रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि सुरक्षित स्थान में बच्चे की प्रगति का आंकलन किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चे के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया जा रहा है। धारा 19 ((4)
- जैसी आवश्यकता हो, रिपोर्ट को बाल अदालत को रिकॉर्ड रखने और फॉलो–अप के लिए भेज दिया जाना चाहिए –धारा 19 (5)

रिकॉर्ड नष्ट करना

- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की सज़ा के कागजात सुरक्षित तरीके से तब तक रखे जाने चाहिए जब तक कि अपील की तिथि समाप्त न हो जाए या सात वर्ष की अवधि तक और उसके बाद प्रभारी व्यक्ति या बोर्ड या बाल न्यायालय द्वारा, जैसा भी मामला हो, कागजातों को नष्ट कर दिया जाएगा।
- जघन्य अपराध के मामले में जहां बच्चा अधिनियम की धारा 19 उपधारा (1) में दोषी पाया जाता है, ऐसे बच्चों के दोषी पाए जाने के अभिलेखों को बाल न्यायालय द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा – (धारा 14)।